Poonam Shodh Rachna (ISSN 2456-5563)
(A multidisciplinary, peer reviewed and refereed Research Journal)
Vol.1, Issue.XII, December 2022, Pc : PSR-2212009

"महिला सशक्तीकरण और शिक्षा"

Authors : हरबाई शर्मा[1] एवं अनिता प्रियादर्शनी[2]
[1]अनुसन्धान छात्रा, दूरस्थ शिक्षा के कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई देहली
[2] दूरस्थ शिक्षा के कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई देहली

Introduction

महिला सशक्तीकरण महिलाओं को अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रखने और अपने निर्णय लेने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें महिलाओं को सामाजिक, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें अपने स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना शामिल हो सकता है। महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सकारात्मक परिणामों की एक श्रृंखला हो सकती है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक विकास और विकास में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण, और अधिक लैंगिक समानता शामिल है।
भारत में, महिला सशक्तिकरण कई वर्षों से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। हाल के दशकों में कुछ प्रगति के बावजूद, जब लैंगिक समानता की बात आती है तो भारत में महिलाओं को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में भेदभाव, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच में कमी और लिंग आधारित हिंसा शामिल हैं।

शिक्षा को समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यह केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तक ही सीमित नहीं है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूनेस्को ने उम्र, लिंग, जाति या सामाजिक और आर्थिक स्थिति में किसी भी अन्य अंतर की परवाह किए बिना शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करने का प्रयास किया।

महिला सशक्तिकरण अभी भी एक दूर का सपना है। फॉर्च्यून 500 कंपनी में सीईओ की सीट पर केवल 2.4% महिलाओं के साथ, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं को शिक्षा से दूर रखने से लेकर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी महिलाओं के आने तक, हम एक लंबा सफर तय कर चुके हैं!

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केंद्र का स्थान लेता है, लेकिन लंबे समय से, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाओं को इस अधिकार (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्) से वंचित रखा गया है और उन्हें बहुत ही अपमानजनक प्रथाओं और जिम्मेदारियों के अधीन किया गया है। शिक्षा लड़कियों को उनके सामाजिक, करियर, आर्थिक और पारिवारिक जीवन में और अधिक हासिल करने के लिए सशक्त बनाती है। महिलाओं के लिए, शिक्षा का मतलब कक्षा में जाना या क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर प्रशिक्षित होना है।

Review of Literature

कई अध्ययनों से पता चला है कि अशिक्षित महिलाओं में उच्च स्तर की नैतिकता, कमाई की कम क्षमता, खराब आहार की स्थिति और घर में कम स्वतंत्रता होती है। शिक्षा की कमी का बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। भारत में शिशु मृत्यु दर माता के शैक्षिक स्तर से नकारात्मक रूप से संबंधित थी। इसके अलावा, शिक्षा की अनुपस्थिति देश के विकास में नकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। महिला शिक्षा एक बहुआयामी कारक है जिसे भारत में महिलाओं के बीच शिक्षा की निम्न दर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सामाजिक, जनसांख्यिकीय, राजनीतिक और आर्थिक जैसे कारक निम्न या उच्च साक्षरता दर की रीढ़ हैं। स्कूलों में लड़कियों की कम स्वीकार्यता एक मुख्य कारण है, जो भारत में महिलाओं की मुक्ति के रास्ते में बाधक है।
शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की भूमिका समाज में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। दुनिया में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन जैसे कारकों ने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है। यदि महिलाओं के लिए स्कूल मानव पूंजी, आर्थिक विकास और उत्पादकता को पुरुष स्कूली शिक्षा के रूप में बढ़ाते हैं, तो शिक्षा में महिलाओं का नुकसान आर्थिक रूप से बेकार है। अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं की शिक्षा से आर्थिक विकास की दर पुरुषों की शिक्षा से मेल खाती है।
महिला सशक्तिकरण किसी भी समाज, राज्य या देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक महिला है जो बच्चे के मूल जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। महिलाएं हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा एक सकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन ला सकती है।शिक्षा महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। इसलिए, यह भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान राज्य को महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीकों और साधनों को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक उपायों को अपनाने का अधिकार देता है। कुच्छ संविधानिक प्रावधानों में निम्न प्रकार से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है :

- संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनी समानता,

[1]हरबाई शर्मा, अनुसन्धान छात्रा, दूरस्थ शिक्षा के कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई देहली
[2]प्रो. अनिता प्रियादर्शनी, दूरस्थ शिक्षा के कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई देहली

- अनुच्छेद 15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना

- अनुच्छेद 16 (1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता,
- अनुच्छेद 19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
- अनुच्छेद 21 में स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना,
- अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त,
- अनुच्छेद 25-28 में धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को समान रूप से प्रदत्त,
- अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार,
- अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
- अनुच्छेद 33 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था,
- अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार,
- अनुच्छेद 40 में पंचायती राज्य संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था,
- अनुच्छेद 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार,
- अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था,
- अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व है,
- अनुच्छेद 51 (क) (ड) में भारत के सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों,
- अनुच्छेद 332 (क) में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

महिला सशक्तीकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएँ

उपरोक्त संविधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त सरकारकी नीतियाँ और कानून भी है जो महिला सशक्तिकरण मेंअपनी भूमिका निभाते है **महिला सशक्तीकरण से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाएँ**

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
- उज्ज्वला योजना
- स्वाधार गृह
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री **महिला** शक्ति केंद्र योजना
- वन स्टॉप सेंटर

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,1990, राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001) और महिलाओं के लिए मसौदा राष्ट्रीय नीति 2016 भी महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर्यासरत है
महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे देश में महिला शिक्षा के लिए अनेक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है यदपि महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक मुद्दा है और दुनिया भर में कई औपचारिक और अनौपचारिक अभियानों में महिला राजनीतिक अधिकार पर चर्चा सबसे आगे है। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को 1985 में नारोइबी में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में पेश किया गया था। शिक्षा महिला सशक्तिकरण का मील का पत्थर है क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का जवाब देने, अपनी पारंपरिक भूमिका का सामना करने और अपने जीवन को बदलने में सक्षम बनाती है। इसलिए, हम महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में शिक्षा के महत्व की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। महिला शिक्षा में विकास को देखने के लिए भारत को हाल के वर्षों में दुनिया की आगामी महाशक्ति माना जाता है। महिला शिक्षा में बढ़ते बदलाव के साथ, महिलाओं की स्थिति का निर्धारण करने में महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्रीय मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई है। महाशक्ति बनने के लिए हमें ज्यादातर महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना होगा। जिससे यह महिला सशक्तिकरण को बल देगा। महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्रीय विकास निधि (यूनिफेम) के अनुसार, महिला सशक्तिकरण शब्द का अर्थ है:
लैंगिक संबंधों का ज्ञान और समझ हासिल करना और उन तरीकों को समझना जिनसे ये संबंध शायद बदल गए हों।

- आत्म-मूल्य की भावना विकसित करना, वांछित परिवर्तनों को सुरक्षित करने की क्षमता में विश्वास और अपने जीवन को नियंत्रित करने का अधिकार।

- विकल्प उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त करने से सौदेबाजी की शक्ति का प्रयोग होता है।

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाने के लिए, सामाजिक परिवर्तन की दिशा को संगठित करने और प्रभावित करने की क्षमता विकसित करना।

Conclusion

इस प्रकार, सशक्तिकरण का अर्थ व्यक्तिगत नियंत्रण या प्रभाव और वास्तविक सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति और कानूनी अधिकारों से सरोकार की मनोवैज्ञानिक भावना है। यह व्यक्तियों, संगठनों और समुदाय का जिक्र करते हुए एक बहु-स्तरीय निर्माण है। यह स्थानीय समुदाय

में केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय, चल रही प्रक्रिया है, जिसमें आपसी सम्मान, महत्वपूर्ण प्रतिबिंब, देखभाल और समूह की भागीदारी शामिल है, जिसके माध्यम से मूल्यवान संसाधनों के बराबर हिस्से की कमी वाले लोग इन संसाधनों पर नियंत्रण के लिए अधिक पहुंच प्राप्त करते हैं।

संदर्भ सूचीः-

1. देसाई नीरा और गैत्रयी कृष्णराज वीमेन एण्ड सोसायटी इन इंडिया अजंत पब्लिकेशंस दिल्ली 1987, पृ. 46
2. संयुक्त राष्ट्र संघ रिपोर्ट वनडे वीमने: ट्रेएड्स एण्ड स्टेटिक्स (डीरीलली) (1995)
3. पाण्डेय, डॉ॰. जयनारायण, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ॰ एजेन्सी दिल्ली, 41 वाँ संस्करण 2008
4. शत्रुघ्न, डॉ., भारतीय लोकतंत्र में समकालीन मुदे
5. आहूजा राम, क्राइम अगेनस्ट वुमेन, जयपुर रावत पब्लिकेशन्स, 1987
6. रोजगार और निर्माण मार्च-२००५
7. महिलाओं से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों के आलेख